देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचनाः–

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या....1293..../भू अ० दिनांक :..16/8/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–सिंहपुर, थाना–करौं, थाना सं०–645, अंचलः–करौं, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **ढीवा मोड़ (रांगा सिरसा–ढीवा–कुकराहा–करौं–करमाटांड़ पथ पर) से करौं पथ (कुल लंबाई–9.050 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण/पुर्निनिर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–सिंहपुर, थाना–करौं, थाना सं०–645, अंचलः–करौं, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.27 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है –

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	8	रैयती	धानी–3	0.10	चन्द्रमोलेश्वर सिंह वो सच्चिदान्द सिंह वो नवल सिंह वो कुशल सिंह वो नित्यानन्द सिंह वो आनन्द सिंह पे० स्व० रामसेवक सिंह वो राजेन्द्र सिंह वो किशोर सिंह वो अमर सिंह वो मनोज सिंह वो हेमन्त सिंह वो राजकुमार सिंह पे० स्व० सुरेश सिंह वो पुरूषोत्तम सिंह पे० स्व० अशोक सिंह अंश समाना सा० देह।	मौजा सिमरतरी, 88	मौजा टिकैत बांध, 83	अर्जित रकवा का अंश	बेलकयारी न० 644
2	6	11	रैयती	धानी–3	0.02	तथैव				
3	6	97	रैयती	धानी–3	0.30	तथैव				
4	6	94	रैयती	धानी–3	0.12	तथैव				
5	6	95	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव				
6	7	9	रैयती	धानी–3	0.03	उर्मिला देवी पति स्व० अखिलेश्वर सिंह वो अविनाश सिंह वो सुकदेव सिंह पे० स्व० बेगरू सिंह वो मालती देवी पति स्व० भोला सिंह अंश समान सा० देह।				
7	7	12	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
8	7	98	रैयती	बाड़ी–2	0.06	मुरारी सिंह पे० स्व० देवनारायण सिंह वो त्रिपुरारी सिंह पे० स्व० जगदीश सिंह वो धुरन्धर सिंह वो छोटी सिंह पे० स्व० गणेश सिंह वो विष्णुदेव सिंह वो मृत्युंजय सिंह वो रणधीर सिंह पे० स्व० कार्तिक सिंह वो नन्दकिशोर सिंह पे० स्व० वंशराज सिंह वो बासकी सिंह पे० स्व० गोवर्धन सिंह वो भागीरथ सिंह पे० स्व० जीतलाल सिंह वो दशरथ सिंह वो महावीर सिंह वो श्री सिंह पे० स्व० शिवनारायण सिंह अंश समान सा० देह।				

9	7	93	रैयती	बाड़ी–2	0.06	तथैव।				
10	7	100	रैयती	धानी–3	0.08	तथैव।				
11	7	99	रैयती	बाड़ी–2	0.08	तथैव।				
12	7	92	रैयती	धानी–2	0.01	तथैव।				
13	6/क	105	रैयती	बांध	0.36	मुरारी सिंह पे० स्व० देवनारायण सिंह वो त्रिपुरारी सिंह पे० स्व० जगदीश सिंह वो धुरन्धर सिंह वो छोटी सिंह पे० स्व० गणेश सिंह वो विष्णुदेव सिंह वो मृत्युंजय सिंह वो रणधीर सिंह पे० स्व० कार्तिक सिंह वो नन्दकिशोर सिंह पे० स्व० वंशराज सिंह वो बासकी सिंह पे० स्व० गोवर्धन सिंह वो भागीरथ सिंह पे० स्व० जीतलाल सिंह वो दशरथ सिंह वो महावीर सिंह वो श्री सिंह पे० स्व० शिवनारायण सिंह वो चन्द्रमोलेश्वर सिंह वो सच्चिदान्द सिंह वो नवल सिंह वो कुशल सिंह वो नित्यानन्द सिंह वो आनन्द सिंह पे० स्व० रामसेवक सिंह वो राजेन्द्र सिंह वो किशोर सिंह वो अमर सिंह वो मनोज सिंह वो हेमन्त सिंह वो राजकुमार सिंह पे० स्व० सुरेश सिंह वो पुरूषोत्तम सिंह पे० स्व० अशोक सिंह				
				कुल रकवा–	1.27					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर

अपर समाहर्त्ता, देवघर

07-8-2021

11/08/2021

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

e:\2015 l.a (b.k.)\all project for road\dhiva to karown\re notification\singhpur (sy).docx

ज्ञापांक 1293/ भू अ०, देवघर, दिनांक 16/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, करौं, को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

11/08/2021

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर